maximizing generation from existing units, strengthening T&D system in Delhi, adoption of better demand management and energy conservation measures.

(c) According to information furnished by DESU, the details of outstanding dues from DESU to Central utilities, as on 1.6.1996 (excluding surcharge/interest on overdue bills) were as follows:

Sl. No	Dues from DESU to	Rs. in Crores
1.	BTPS	2572.36
2.	NTPC	391.81
3.	NHPC	100.41
4.	RAILWAYS	71.72
5.	OTHERS	96.16

कच्चे तेल की खोज

1919. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान किन-किन स्थानों पर कच्चे तेल की खोज सफलतापूर्वक की गई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्थान पर उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा कितनी-कितनी है; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निजी कंपनियों द्वारा खोजे गये कुंओं की संख्या कितनी है तथा इनमें प्रत्येक कंपनी का अंश कितना-कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) और (ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान निम्नलिखित नए कूपों/संरचनाओं में कच्चे तेल की खोज की गई:—

कूप/संरचना	बेसिन/क्षेत्र	
बी-15-2	पश्चिमी तट	(अपतट)
बी-193-1	पश्चिमी तट	(अपतट)
डब्ल्यू ओ-16-1	पश्चिमी तट	(अपतट)
डब्ल्यू ओ-15-2	पश्चिमी तट	(अपतट)
बी-15ए-1	पश्चिमी तट	(अपतट)
जी एस-23-1	पूर्वी तट	(अपतट)
पुंडी-2	कावेरी	(जमीनी)
किझवेलुर-1	कावेरी	(जमीनी)
खंबोई-1	कैम्बे	(जमीनी)
भेकुलाजान	असम	
रजाली	असम	
बोरहपजान	असम	
रूंगालीटिंग	असम	

जहां तक इन नई तेल और गैस संरचनाओं से उत्पादन की मात्रा का संबंध है, इसे आरेखन वेधन, परीक्षण उत्पादन आंकड़ों, निकासी-योग्य भंडारों के मूल्यांकन, पेट्रोभौतिकीय गुणों के निर्धारण आदि के माध्यम से पता लगाए जाने वाले क्षेत्र उत्पादन संभाव्यता आंकड़ों के तैयार होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।

(ग) एवार्ड किए गए ब्लाकों में निजी / बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए अन्वेषण प्रयासों से अब तक तेल की कोई महत्वपूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है।

अकुशल मजदूरों की स्थिति

1920. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के बावजूद अकुशल मजदूरों की स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है और वे अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का निर्धारण करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) देश में ऐसे लोगों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है; और

(ङ) इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) गरीबी घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर आंकी

गयी है, जबकि ऐसे क्षेत्रकों, जहां श्रम शोषण से अनुरक्षित हैं, में वैयक्तिक, दिहाड़ी मजदूरी कमाने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू है, न्यूनतम मजदूरी और गरीबी विस्तार का कोई प्रत्यक्ष और तत्काल सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि परिवार-दर परिवार कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या में विभिन्नता है तथा साथ ही न्यूनतम मजदूरी सीमान्त किसानों पर लागू नहीं होता है;

(ग) से (ङ) भारत में गरीबी-रेखा, प्रभावी उपभोक्ता मांग व न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुमानों पर टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, गरीबी की रेखा को 1973-74 हेतु औसतन खपत बास्टक के लिए अपेक्षित प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति होगी।

वर्ष 1987-88 हेतु गरीबी—रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के राज्य-वार नवीनतम अनुमान विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1987-88 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र०सं०	राज्य	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	165.16
2.	असम	37.44
3.	बिहार	278.12
4.	गुजरात	56.12
5.	हरियाणा	14.24
6.	हिमाचल प्रदेश	3.49
7.	जम्मू व कश्मीर	7.81
8.	कर्नाटक	117.05
9.	केरल	38.63
10.	मध्य प्रदेश	195.71
11.	महाराष्ट्र	183.67
12	उड़ीसा	119.61
13.	पंजाब	9.59
14.	राजस्थान	84.31
15.	तमिलनाडु	152.23
16.	उत्तर प्रदेश	389.35
17.	पश्चिम बंगाल	142.60
18.	अखिल भारत	2014.06

टिप्पणी: (1) 1 अक्तूबर, 1987 को जनसंख्या से संबंधित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(2) परिणाम (जुलाई 1987-जून 1988) के 43 वें दौर से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोक्ता व्यय के आधार पर है।

मध्यप्रदेश के गावों में विद्युत व्यवस्था का विस्तार

1921. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान अपनी स्वीकृत योजनओं के अधीन मध्यप्रदेश के कितने गांवों में विद्युत व्यवस्था के विस्तार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से जिला-वार कितने गांवों में विद्युत व्यवस्था के विस्तार हेतु स्वीकृति प्रदान करके इस उद्देश्य के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) राज्य में जिला-वार कितने गांवों में इस योजना के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था का विस्तार किया गया है; और

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार के अंतर्गत स्वीकृत मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) योजना आयोग राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किसी राज्य के लिए सम्पूर्ण रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रतिवर्ष वास्तविक एवम् वित्तीय लक्ष्यों का आबंटन करता है। मध्य प्रदेश में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत